

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

करण क्रमांक : 396

प्रकरण दर्ज दिनांक

अनावेदक प्रोजेक्ट : आदित्य हाईट्स

CGRERA-P-: M-COM-2019-00671

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

22/06/19

विषयांगत लेख है कि आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आदित्य हाईट्स छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन नंबर PCGRERA291218000886 के रूप में दिनांक 29.12.2018 से पंजीकृत है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा /2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं।

प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने ऊपर वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अब तक अद्यतन नहीं की गई है।

- प्रकरण दर्ज हो।
- अनावेदक को अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में नोटिस जारी किया जावे।

मा.दि.- 01/06/2019

(विवेक ढाँड)
अध्यक्ष

1.6.19.

1/ Case taken today.
2/ N/A absent. He has updated the quarterly progress report. Hence case is closed.

सदस्य

15/6
सदस्य

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ रायपुर

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ रायपुर

